Shalwala, Shri Ram Gopal	Shukla, Shri Vidya Charan	Solanki, Shri S. M.
Shambhu Nath, Shri	Sidheshwar Prasad, Shri	Supakar, Shri Sradhakar
Shankaranand, Shri	Singh, Dr. B. N.	Tamaskar, Shri
Sheo Narain, Shri	Singh, Shri D. N.	Tiwary, Shri K. N.
Sheth, Shri T. M.	Sinha, Shrimati Tarkeshwari	Virbhadra Singh, Shri
Shinkre, Shri		Yadab, Shri N. P.

Mr. Deputy-Speaker: The result of the Division is: Ayes: 51, Noes: 70. The motion is not carried by a majority of the total membership of the House and by a majority of not less than two-thirds of the Members present and voting. Therefore the motion is lost.

The motion was negatived.

Mr. Nath Pai.

15.58½ hrs.

REPRESENTATION OF THE PEOPLE (AMENDMENT)* BILL

(Amendment of Sections 14 and 15)

Shri Nath Pai (Rajapur): I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Representation of the People Act, 1951.

Mr. Deputy-Speaker: The question is:

> "That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Representation of the People Act, 1951."

The motion was adopted.

Shri Nath Pai: I introduce the Bill.

15.59 hrs.

CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL

(Amendment of Articles 37, 45, etc.)

Mr. Deputy-Speaker: Now we take up the Constitution (Amendment) Bill (Amendment of Articles 37, 45, etc.) by Shri Madhu Limaye.

The President has not recommended the consideration of the Bill under Article 117(3) of the Constitution. Shri Madhu Limaye has given a notice to move for circulation of the Bill for eliciting opinion thereon. He may now move that motion.

श्री मधु लिमये (मुंगेर) : अध्यक्ष महोदय, इस के बारे में मैं आपसे विनती करना चाहता हूं। आप संविधान की धारा 117 की देखिये, जिसके तीसरे हिस्से के अन्तर्गत राष्ट्रपति जी ने इजाजत देने से इन्कार किया है। यह धारा इस प्रकार है :

> "A Bill which, if enacted and brought into operation, would involve expenditure from the Consolidated Fund of India shall not be passed by either House of Parliament unless the President has recommended to that House the consideration of the Bill".

इस का साफ़ मतलब है कि इस विधेयक को पारित किया जाय, पास किया जाय—यह प्रस्ताव यह सदन मन्जूर नहीं कर सकता है जब तक कि राष्ट्रपति जी ने इस पर विचार करने की अनुमति नहीं दी है।

16 hrs.

अब जो प्रस्ताव मैं रखना चाहता हूं वह विधेयक पर विचार किया जाय—यह रख रहा हूं। यह नहीं कि इस को पारित किया जाय। इस धारा के अनुसार मैं मानता हूं कि पारित करने का प्रस्ताव मैं नहीं रख सकता, लेकिन इस वक्त मैं पारित करने का प्रस्ताव नहीं रख रहा हूं। इस लिये मुझे इस में कोई संवैधानिक बाधा नहीं दीखती

*Published in Gazette of India Extraordinary, Part II, section 2, dated 26-5-67.

[श्री मधु लिमये]

है। अगर इजाजत हो तो पहले वही प्रस्ताव रखूंगा, आप जो निर्णय देंगे उसी के अनुसार चलूंगा।

Mr. Deputy-Speaker: On this point, rulings have been given in the past from the Chair by my predecessors that consideration also which involves acceptance of the principle, is part of a process which ultimately leads to the passing of the Bill. So that is not permissible. If he is interested in moving for circulation....

श्री मधु लिमये : वह तो नहीं करूंगा। मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि इस निर्णय को बदला जाय, क्योंकि यह संविधान की अध्यावली के खिलाफ जाता है।

Shri Randhir Singh (Rohtak): Sanction must precede consideration. That is mandatory.

Shri Sezhiyan (Kumbakonam): Article 117(3) is very clear:

> "A Bill which, if enacted and brought into operation, would involve expenditure from the Consolidated Fund of India shall not be passed by either House of Parliament unless the President has recommended to that House the consideration of the Bill".

So the Bill cannot be passed and brought into operation if the President's recommendation is not there. But that does not bar its consideration. Suppose it is passed. The President may not give his consent. That is a different stage apart from consideration. So we can consider the Bill.

Shri P. Ramamurti (Madurai): The question is that if the Bill is passed before the President of India gives his consent, then it will become invalid. But between the consideration of the Bill by the House and the actual passing of the Bill, it may be that the President of India may change his mind it may be that the President of India before actual voting takes place on the Bill may change his mind. It is quite possible. Why should we assume that the President's mind is closed and it can never be changed?

I do concede that after all the President acts in all these questions on the advice of the Council of Ministers. But why should Government also be so wooden? After hearing this, after going through this debate, it may be that the Council of Ministers might change their mind? Why should they want to advertise themselves as people who are impervious to any kind of reasoning or reasonable arguments here?

So let the debate go on. In the meanwhile, before actually the question is put to vote, if by that time it so happens that the President still considers that he will not be in a position to commend this Bill to the House, it may be that at that time you will not allow this Bill to be passed. But the Constitution is very clear on the point. It does not say that the Bill shall not be considered. It only says that it shall not be passed into an Act. That is very clear.

> "A Bill which, if enacted and brought into operation, would involve expenditure from the Consolidated Fund of India shall not be passed by either House of Parliament unless the President has recommended to that House the consideration of the Bill".

There is a difference between the passing of a Bill and its consideration by the House. Therefore, there is no constitutional bar whatsoever for the consideration of the Bill by the House.

I would only appeal to Government not to advertise their woodenheadedness and show that they are absolutely impervious to any kind of argument which we adduce here. Let them

hear the arguments made and let them make up their mind and advise the President accordingly before it is actually put to vote.

श्री जार्ज फरनेन्डीज (बम्बई-दक्षिण) : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे इसी मुद्दे पर, जो मधु लिमये जी ने उठाई है संविधान के आधार पर एक और बात पेश करनी है। अभी मधु लिमयेजी ने और राममूर्ति जी ने क्लाज 117, सब-क्लाज 3 आपके सामने पढ़ कर सुनाई है जिसमें यह लिखा है कि—

"A Bill which, if enacted and brought into operation, would involve expenditure from the Consolidated Fund of India shall not be passed by either House of Parliament unless the President has recommended to that House,..".

उपाध्यक्ष महोदय, इस चीज को अच्छी तरह समझा जाय। ऐसा बिल पास नहीं हो सकता है कि जो बिल कन्सोलिडेटेड फण्ड आफ इण्डिया से कोई न कोई खर्चे में सरकार को या किसी को भी डालता है। अब उपाध्यक्ष महोदय, मैं क्लाज 117, सब-क्लाज 1 की तरफ आपका ध्यान खींचना चाहता हूं जिसमें बिल इन्ट्रोड्यूस करने के बारे में कुछ बातें लिखी हुई हैं—

"A Bill or amendment making provision for any of the matters specified in sub-clauses (a) to (f) of clause (1) of article 110 shall not be introduced or moved except on the recommendation of the President . . .".

अब उपाध्यक्ष महोदय, क्लाज 110 ए तथा एफ की तरफ देखें, वहां भी कन्सोलिडेटिड फण्ड आफ इण्डिया की बात आती है— और कोई चीज उसके अन्दर नहीं लिखी हुई है। इस लिये मधु लिमये का जो बिल है वह कन्सोलिडेटिड फण्ड के पैसे के खर्च से सम्बन्ध नहीं रखता है। अगर आप 117 के सब-क्लाज 1 और 3 की तरफ देखें तो पहले सब-क्लाज में कौन सा बिल इन्ट्रोड्यूस करने की इजाजत चाहिये यह बात साफ है। इस में साफ बतलाया है कि 110 के ए से लेकर एफ तक जो चीजें बिल से सम्बन्ध रखती हैं सिर्फ उन को यहां पेश करने की राष्ट्रपति जी की इजाजत पहले लेनी होगी।

आपने कहा है कि इस के पहले भी इस मसले पर कुछ विचार यहां पर हो गया है, मुझे नहीं मालूम उस वक्त क्या फैसला हुआ था, लेकिन इस वक्त एक सीधा मसला आपके सामने है। आप 117 (1) और (3) की तरफ देखिये—कौन सा बिल इन्ट्रोड्यूस करने के लिये, पेश करने के लिये इजाजत की जरूरत है? वह जब साफ लिखा है तो अन्य किसी भी बिल को पेश करने के वास्ते राष्ट्रपति जी की इजाजत का सवाल नहीं आ सकता।

आगे जा कर—जब 117 (3) में यह साफ बताया गया है कि ऐसा बिल पास नहीं होगा जो कन्सोलिडेटेड फण्ड आफ इण्डिया को खर्चे में डाल सकता है—अगर वह बिल पेश करने के पहले राष्ट्रपति जी की इजाजत नहीं ली गई—ऐसी हालत में मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूं कि मधु लिमये जी को बिल पेश करने की इजाजत देनी चाहिये और अगर वह नहीं दी गई तो फिर इस सुविधा का उस में उल्लंघन हो जायगा—इस बात को सदन ध्यान में रखें।

श्री एस० एम० जोशी (पूना) : उपाध्यक्ष महोदय श्री राममूर्ति ने आप के सामने जो बात रखी है मैं उस का समर्थन तो करता हूं, लेकिन उस के साथ एक और बात आप के सामने रखना चाहता हूं। हाल ही में एजूकेशन कमीशन की रिपोर्ट लोगों के सामने आई है। उस की सिफारिशों में इस बारे

[Shri S. M. Joshi]

में भी सिफारिश होगी और उस पर सदन में चर्चा होने वाली है। इस लिए मेरा अपना ख्याल यह है कि चाहे आज हुकूमत को ऐसा लगता है कि इस बिल को पास नहीं करना चाहिए, लेकिन बहुत मुमकिन है कि कुछ दिनों के बाद वह उस को पास करने के लिए तैयार हो जाये।

यहां पर इस विषय में "पास" शब्द का इस्तेमाल किया गया है और बिल सब स्टेजिज को पार करने के बाद आखिरी स्टेज में ही पास होता है। पहले बिल की फर्स्ट रीडिंग और सैकंड रीडिंग होती है। हो सकता है कि फर्स्ट रीडिंग के बाद बिल को पब्लिक ओपीनियन मालूम करने के लिए भेज दिया जाये। इस लिए इस स्टेज पर बिल के पास होने का सवाल पैदा नहीं होता है। इस कारण मैं समझता हूं कि इस को मना करना उचित नहीं है।

श्री कंवर लाल गुप्त (दिल्ली सदर) : उपाध्यक्ष महोदय अगर संविधान के आर्टिकल 117 को देखा जाये, तो उस में एक बिल के स्पष्ट तीन हिस्से बनाए गए हैं: पहला हिस्सा वह है कि जब बिल इन्ट्रोडयूस होता है, दूसरा हिस्सा वह है कि जब वह कन्सिडर होता है और तीसरा हिस्सा वह है कि जब वह पास होता है। यह बिल इन्ट्रोडयूस हो चुका है और उस के बाद दूसरी स्टेज कन्सिडरेशन की है और तीसरी स्टेज पास होने की है। जब यह बिल इन्ट्रोडयूस हो सकता है, तो यह कन्सिडर क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि आर्टिकल 117(3) में कहा गया है :

"A Bill which, if enacted and brought into operation, would involve expenditure from the Consolidated Fund of India shall not be passed by either House of Parliament under the President has recommended to that House the consideration of the Bill."

अगर कभी किसी स्टेज पर राष्ट्रपति को उस बिल के पास होने पर एतराज हो, तभी उस बिल के पास होने में आपत्ति हो सकती है। और अगर माननीय सदस्य उस के कन्सिडरेशन पर आपत्ति करते हैं, तो फिर उस के इन्ट्रोडक्शन पर भी आपत्ति करनी चाहिए थी। जब इन्ट्रोडक्शन पर आपत्ति नहीं हुई, तो कन्सिडरेशन पर भी आपत्ति नहीं हो सकती है। हां, जब यह पास होने की स्टेज पर आए, तब इस पर आपत्ति हो सकती है।

माननीय सदस्य, श्री मधु लिमये ने आर्टिकल 37 और 45 में संशोधन करने के लिए यह बिल पेश किया है। आर्टिकल 37 में कहा गया है :—

Mr. Deputy-Speaker: You need not go into the amendment that he proposes. The only point is whether at this consideration stage we require the President's recommendation.

श्री कंवर लाल गुप्त : मेरा कहना यह है कि आर्टिकल 37 में कहा गया है :

"The provisions continued in this Part shall not be enforceable by any court, but the principles therein laid down are nevertheless fundamental in the governance of the country and it shall be the duty of the State to apply these principles in making laws."

आर्टिकल 45 में स्पष्ट तौर से लिखा हुआ है कि सरकार की यह ड्यूटी है कि दस साल के अन्दर अन्दर चौदह साल तक के बच्चों को.....

Mr. Deputy-Speaker: I have permitted you to make you observations regarding the point of order. The scope is limited.

श्री कंवर लाल गुप्त : जब दस साल के बाद भी संविधान के इस आर्टिकल पर अमल नहीं किया जाता है और उस के लिए यह बिल पेश किया जाता है, तो हो सकता है कि इस के कनसिडरेशन के बाद राष्ट्रपति और सरकार के ध्यान में यह बात आए कि जो काम हम को दस साल के अन्दर अन्दर करना चाहिए, वह हम ने नहीं किया और कम से कम उस को अब किया जाना चाहिए । हो सकता है कि राष्ट्रपति अपनी राय को बदल दें और बाद में इजाजत दे दें ।

Mr. Deputy-Speaker: There is nothing now. You are losing your own time.

Shri S. M. Banerjee (Kanpur): Only two minutes.

Mr. Deputy-Speaker: Nobody finishes in two minutes.

Shri S. M. Banerjee: I realise your difficulty and the difficulty of the House also, but fortunately or unfortunately, fortunately rather, this Bill was introduced. At that time I was present here. There was no objection raised by anybody. Certainly, as is the habit of this Government, they woke up and they found that this was a Money Bill, and then they put their legal heads together, and thought they would not recommend it for the President's recommendation. This requires the recommendation of the President. The fear of the Treasury Benches may be that once this Bill is allowed to be discussed, either the first part or the second part, it may be passed. I wish to move with your permission a motion for circulating the Bill for eliciting public opinion.

Mr. Deputy-Speaker: He has already moved. I gave you permission only to speak on the point of order.

Shri S. M. Banerjee: I suggest that if there is a motion for circulation, it cannot be stopped.

Shri Nambiar (Tiruchirapalli): My submission is that since the Bill was allowed to be introduced and no objection was raised it must be allowed. If it cannot be passed, that is at the final stage, but let the Bill be discussed.

Shri Randhir Singh: Rule 75 of the Rules of Procedure and Conduct of Business says:

> "On the day on which any motion referred to in rule 74 is made, or on any subsequent day to which the discussion thereof is postponed, the principle of the Bill and its provisions may be discussed generally...".

So, the discretion rests entirely with you. The word is "may" and not "shall". It means it is discretionary and not mandatory.

The second point is whether consideration, discussion and passing are one transaction or different transactions. The time of this hon. House is very precious. If you allow my hon. friend to move the Bill and the House to discuss it—the principle of the Bill can be discussed now, the provision is very clear on that point. That too is discretionary power with you. If you exercise your discretion in its favour and if after these stages are gone through, the hon. President is not pleased to sanction it, then the valuable time of this House—though it is the time for private Members' bills and Resolutions—would be wasted. If they want that the time should be wasted, they should be allowed. If they want to send it to the Select Committee or elicit public opinion, it can be taken up together. My submission is that it may be sent to the Select Committee for consideration later on and in the meantime, if they want to pursue it, it should be pursued. The sanction of the President is something mandatory.

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रारम्भ में ही यह स्पष्ट कर दूं कि मैं इस विचार से जो माननीय सदस्य ने अभी रखा है, इस पर अपने विचार प्रकट करने के अधिकार को है लेकिन यह निर्णय प्रक्रिया के अन्तर्गत आपके अन्दर है। मधु लिमये जी ने जो प्रश्न उठाया है वह इस प्रकार है कि विचार करने और पारित करने में इन्होंने फर्क किया है। आखिर किसी भी विधेयक को यहां पर उपस्थित करने का और लाने का क्या अर्थ है ? विधेयक के यहां लाने का अर्थ है कि उस को पारित किया जाय और पारित करने के बाद उस का कार्यान्वयन किया जाय। इस सदन में जब कोई विधेयक लाया जाता है तो उस के कई भाग है। पहले उस को सदन में लाना, इंट्रोडक्शन, उस के बाद प्रथम वाचन, द्वितीय वाचन और अन्तिम वाचन। फिर इस सदन के बाद दूसरे सदन में जाना पड़ता है राज्य सभा में और राज्य सभा में भी पारित होने के बाद राष्ट्रपति अपनी सहमति देते हैं। अगर यह बातें एक हैं तब तो फिर इस के ऊपर विचार करना अभी संभव नहीं है। लेकिन अगर आप के विचार के अंतर्गत यह बातें अलग अलग हैं तो फिर आप इस पर विचार करने की अनुमति दे सकते हैं। अब तक की जो परम्परा इस सदन की रही है वह यह है कि किसी भी विधेयक को सदन में लाने का अर्थ है पारित करना और पारित करने का अर्थ है उस पर विचार, प्रथम वाचन, द्वितीय वाचन, तृतीय वाचन, राज्य सभा में जाना, वहां पर पास होना और फिर राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त कर के कार्यान्वित करना। अगर आप ने यह इजाजत दी कि पारित करना अलग है और विचार करना अलग है तो इस का नतीजा यह है कि इस सदन में ऐसे बहुत से विधेयक लाये जावेंगे जो सिर्फ विचार करने के लिए होंगे और पारित नहीं होंगे। इसलिए सिर्फ इसी बात पर मैं ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। हमारे मित्रों ने बताया कि इन्ट्रोडक्शन स्टेज पर आपने क्यों विरोध नहीं किया तो आप स्वयं जानते हैं कि इस सदन की परम्परा है कि हम किसी भी विधेयक का इंट्रोडक्शन स्टेज पर विरोध नहीं करते हैं। इसी बात पर आप अपना निर्णय देने की कृपा करें।

Mr. Deputy-Speaker: As the hon. Minister, Mr. Azad has pointed out, it is the general practice here that the introduction stage is a mere formality and it is not generally obstructed at that stage. But from consideration to the passing of a Bill, there are various stages and these phases are in a way indicated here. Members should take into consideration the practical difficulties. When we reach the next stage, clause-by-clause consideration is taken. Mr. Nambiar argued what harm was there if permission is given at the consideration stage. You want to create a situation where Parliament passes a Bill.....

Shri Madhu Limaye: No, consideration.

Mr. Deputy-Speaker: It will go from one stage to another on the same analogy—what harm is there, let us discuss the clauses and so on. There is no limit to it. You have the motion for circulation. You can build up public opinion.

श्री मधु लिमये : हां, मैं तो अध्यक्ष महोदय, मैं एक दूसरा सुझाव रखना चाहता हूं।

Mr. Deputy-Speaker: Let me finish my ruling. On this, there is the motion for circulation. By building up public opinion, you can also pursuade the Government, as Mr. Ramamurthy argued. It is not a question of wooden headedness; it is a question of certain administrative responsibility. I would like to quote a ruling given in 1953

by Mr. Mavalankar who was the Speaker then:

> "I do still consider it open to the President to recommend to the House the consideration of the Bill. He has not recommended it... Then it will be futile to go on with it until passing. It cannot be passed. There is no good embarking upon an enterprise which will end in nothing."

I think this is very cogent reasoning and we have accepted it in the past. I do not want to deviate from this precedent. Only your motion for circulation is permissible.

श्री मधु लिमये : अध्यक्ष महोदय, मैं दूसरा प्रस्ताव रख रहा हूं । आप ने जिस निर्णय को दोहराया मेरी राय में वह संविधान के खिलाफ है फिर भी उस को मैं मानता हूं और मैं अपना दूसरा प्रस्ताव रखता हूं । मेरा यह प्रस्ताव है कि लोक मत जानने के लिए हमारे विधेयक को परिचालित किया जाय ।

अब जो विधेयक मैं इस सदन के सामने रख रहा हूं उस के सिद्धान्त को पहले मैं संक्षेप में बताना चाहता हूं । 17 साल पहले जो संविधान बना उस को 26 जनवरी 1950 से लागू किया गया । उस संविधान में जो हिस्सा III है उस में बुनियादी अधिकारों की चर्चा है और इन अधिकारों की यह विशेषता है कि जैसे कि 32 वीं धारा में कहा गया है :

> "The right to move the Supreme Court by appropriate proceedings for the enforcement of the rights conferred by this part is guaranteed."

16.28 hrs.

[श्री म० सि० डिल्लों : पीठासीन हुए]

तो तीसरे हिस्से में जो अधिकार हैं या सिद्धान्त हैं उन पर अमल करवाने के लिए कोई भी नागरिक सर्वोच्च न्यायालय के पास जा सकता है, उच्च न्यायालय के पास भी जा सकता है और उस पर अमल करवा सकता है । साथ साथ हमारे संविधान में IV हिस्सा है । उस हिस्से में भी कुछ सिद्धान्तों की चर्चा है, कुछ दिशा दिखाने वाले निर्देशक सिद्धान्त हैं । लेकिन बुनियादी अधिकारों में और इन सिद्धान्तों में यह फर्क है कि जहां बुनियादी अधिकारों पर सुप्रीम कोर्ट के जरिए आप अमल करवा सकते हैं, निर्देशक सिद्धान्त नीति के आधार रूप में रहेंगे और सरकार का और शासन का यह कर्तव्य रहेगा कि उन को कार्यान्वित किया जाय । लेकिन संविधान में न्यायालय के जरिए, किसी अदालत के जरिए उन पर अमल करवाने का इंतजाम नहीं है । आप धारा 37 देख लीजिये :

> "The provisions contained in this part shall not be enforceable by any court but the provisions therein laid down are nevertheless fundamental in the governance of the country and it shall be the duty of the State to apply these principles in making laws."

इस का साफ मतलब है कि अदालत में जाने की छूट नहीं है लेकिन राज्य को और शासन को इस में यह निर्देश दिया गया है कि नीति निर्धारित करते समय या कानून बनाते समय इन सिद्धान्तों का वह हमेशा ख्याल रखे । अब इस में कई सिद्धान्त दिए गए हैं । उदाहरणार्थ : दो सिद्धान्तों का मैंने जिक्र किया है—एक प्राथमिक शिक्षा के बारे में है और एक मुफ्तखोरी आदि के बारे है

[Shri Madhu Limaye]

है। जो प्राथमिक शिक्षा के बारे में निदेशक सिद्धान्त है वह इस प्रकार है :

"The State shall endeavour to provide, within a period of ten years from the commencement of this Constitution, for free and compulsory education for all children until they complete the age of fourteen years."

निर्देशक सिद्धान्त तो यह था कि संविधान के अमल में आने के पश्चात् दस साल के अन्दर चौदह साल तक के बच्चों के लिए प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य और मुफ्त की जाये। लेकिन आज सतरह साल के बाद भी सरकार इस सिद्धान्त को अमल में नहीं लाई है। मुझे इस बात का डर है कि अगर इस सिद्धान्त को IV हिस्से से लेकर III हिस्से में न डाला गया, तो शायद पच्चीस चालीस साल तक भी इस सिद्धान्त पर अमल नहीं हो पायेगा।

इस वक्त मैं केवल एक बड़े शहर का उदाहरण देना चाहता हूं—कलकत्ते का, जो हिन्दुस्तान का सब से बड़ा शहर है। उस शहर में प्राथमिक शिक्षा की क्या हालत है? आप को याद होगा कि कलकत्ता नगरी में अंग्रेजों के जमाने में जो कौंसिल बनी थी, उस में श्री गोपाल कृष्ण गोखले ने एक प्रस्ताव रखा था और उस के अगले साल उन्होंने एक विधेयक भी रक्खा था—यह 1910-11 की बात है—जिस में उन्होंने यह आशा प्रकट की थी कि बीस पच्चीस साल में उन का यह सपना साकार हो जायेगा। लेकिन आज मुझे कोई खुशी नहीं है कि जिस विषय पर गोपाल कृष्ण गोखले ने करीब करीब 56 साल पहले प्रस्ताव और बिल रखा, उसी पर मुझे भी यह बिल रखना पड़ रहा है। इस को मैं कोई गौरव की बात नहीं, बल्कि कुछ शर्म की ही बात है ऐसा मैं समझता हूं—शर्म मेरे लिए भी और सरकार के लिए भी।

श्री कंवर लाल गुप्त : आन ए पायंट आफ आर्डर। माननीय सदस्य के बिल पर इस सदन में डिस्कशन हो रहा है। पहले भी कई बार यह सवाल उठाया जा चुका है कि ऐसे अवसर पर कैबिनेट रैंक का कोई मिनिस्टर सदन में उपस्थित होना चाहिए। स्पीकर साहब ने कई बार यह एश्योरेंस दिया है कि वह इस बात का ध्यान रखेंगे। लेकिन हम देख रहे हैं कि पिछले पौन घंटे से सदन में कोई भी कैबिनेट रैंक का मिनिस्टर मौजूद नहीं है। यह ठीक है कि शिक्षा मंत्रालय की तरफ से एक मंत्री यहां पर है, लेकिन इस का मतलब यह नहीं है कि सदन को लाइट्ली ट्रीट किया जाये और जो कुछ यहां पर कहा जाये, उस को वजन न दिया जाये। इस अवस्था में हमारे यहां पर बैठने का कोई फायदा नहीं होगा। मिनिस्टरों की जो फौज की फौज इकट्ठी की हुई है, उस का क्या फायदा है जब यहां पर एक भी कैबिनेट रैंक का मिनिस्टर नहीं बैठ सकता है—और यह भी स्पीकर साहब के कहने के बावजूद। अगर 52 मिनिस्टर होने के बाद भी, सदन में यह सवाल बार बार उठने के बाद भी और स्पीकर के कहने के बाद भी एक भी कैबिनेट रैंक का मिनिस्टर यहां नहीं बैठता है और इस सदन को इस तरह सीरियसली और लाइट्ली ट्रीट किया जाता है, तो फिर यहां पर हमारे बैठने का कोई फायदा नहीं है। अगर आप कहें, तो हम उठ कर चले जाते हैं। यह मेम्बरों के राइट का सवाल है। यह कोई पार्टी का सवाल नहीं है। मैं कहना चाहता हूं कि यह मेम्बरों और सदन की मर्यादा का सवाल है—यह कांग्रेस और दूसरी पार्टियों का सवाल नहीं है। अगर दूसरी ओर के माननीय सदस्य इस सदन की मर्यादा और सदस्यों के अधिकारों को बनाए रखना चाहते हैं, तो उन को भी मेरी इस बात को सपोर्ट करना चाहिए और अपनी पार्टी में इस सवाल को उठाना चाहिए। मैं प्रार्थना

कहूंगा कि जब तक कैबिनेट रैंक का कोई मिनिस्टर यहां नहीं आता है, तब तक सदन की कार्यवाही नहीं चलनी चाहिए।

सभापति महोदय : अगर एक भी मिनिस्टर हाउस में हाजिर हो, तो कार्यवाही चल सकती है।

श्री कंवरलाल गुप्त : यह तो आप ने एक कानूनी बात कह दी है, लेकिन स्पीकर साहब ने जो बात मान ली है, अगर आप उस के विरोध में जाना चाहें, तो वह आप की मर्जी है।

Shri Ranga (Srikakulam): Mr. Chairman, it is quite a legitimate objection that my hon. friend has raised. Shri Bhagwat Jha Azad himself was a party to this kind of plea that we put forward in the years past when he was on this side of the House. We do not wish to hold up the work of the House just now, but I would like you to make it clear to the Treasury Benches that this sort of thing cannot be countenanced.

Mr. Chairman: It is not very essential that they should always keep sitting. But I shall in my own way convey your feelings to the Government.

श्री भागवत झा आजाद : श्री रंगा ने जो कुछ कहा है, उसके बारे में मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि अगर यह सदन समझता है कि किसी भी समय में कैबिनेट मिनिस्टर को यहां पर मौजूद रहना चाहिए, तो अच्छा यह होगा कि इस विषय पर विचार करके इस बारे में सदा के लिए निर्णय कर लिया जाये। अब भी इस सदन में यह प्रश्न उठा है, तब कोई निश्चित रूलिंग नहीं दी गई है कि यहां पर किसी कैबिनेट मिनिस्टर का उपस्थित रहना आवश्यक है। श्री रंगा और अन्य दलों के नेता इकट्ठे बैठ कर इस बारे में विचार कर के निर्णय कर लें कि किसी कैबिनेट रैंक के मिनिस्टर का यहां उपस्थित रहना आवश्यक है। जो वर्तमान स्थिति है, उसमें माननीय सदस्यों को भी दुख होता है और हमको भी दुख होता है, जो यहां पर सीरियसली बैठते हैं, कि हमको किसी लायक नहीं समझा जाता है।

श्री कंवरलाल गुप्त : स्पीकर साहब ने कई बार कहा है कि वह हाउस की फीलिंग को कनवे कर देंगे। मुझे पता नहीं कि वह ऐसा करते हैं या नहीं, लेकिन जब उन्होंने इस सदन में यह बात कही है, तो मैं तो यह मान कर चलता हूं कि उन्होंने ऐसा किया होगा। अगर ऐसा नहीं किया जाता है, तो यह सदन की अवहेलना है और यह ठीक बात नहीं है।

श्री स० मो० बनर्जी : माननीय मंत्री, श्री भागवत झा आजाद, ने इस बात को अपने ऊपर ले लिया है। मुझे इस बात का दुख है। उन्हें मालूम होना चाहिए कि किसी किसी मिनिस्ट्री में कैबिनेट मिनिस्टर से मिनिस्टर आफ स्टेट ज्यादा अकलमंद है।

श्री कंवरलाल गुप्त : सभापति महोदय, आप हमारी यह भावना कनवे कर देंगे न?

श्री मधु लिमये : कलकत्ते जैसे बड़े शहर में आज चालीस प्रतिशत से अधिक बच्चे ऐसे हैं, जिनके लिए प्राथमिक शिक्षा का कोई प्रबन्ध नहीं है। जहां तक देहाती इलाकों का सम्बन्ध है, वहां भी हरिजनों, आदिवासियों और दूसरे गरीब तबके के बच्चों के लिए पढ़ाई-लिखाई का कोई अच्छा इन्तजाम नहीं किया गया है।

इस स्थिति में यह स्पष्ट है कि केवल निदेशक सिद्धान्त रख कर इस

[श्री मधु लिमये]

देश में प्राथमिक शिक्षा कभी भी अनिवार्य और मुफ्त नहीं हो पायेगी। अगर इस सिद्धान्त पर अमल नहीं हुआ है, तो उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि हमारे देश के बड़े लोगों के बच्चे बहुत खर्चीले और अमीरी स्कूलों में पढ़ते हैं। वे लोग तो अपने बच्चों की शिक्षा का इन्तजाम कर लेते हैं, लेकिन देहाती लोगों, मजदूरों, हरिजनों और आदिवासियों के बच्चों की शिक्षा का कोई ख्याल नहीं किया जाता है।

इसलिए यह जरूरी हो गया है कि अब हर एक नागरिक को यह अधिकार देना चाहिए कि अगर शासन उसके बच्चों की शिक्षा का प्रबन्ध नहीं करता है, तो वह नजदीक के मैजिस्ट्रेट के सामने जाये और कहे कि उसके बच्चों की पढ़ाई का कोई इन्तजाम नहीं है। मैजिस्ट्रेट उसकी बात सुन कर शासन पर यह हुक्म जारी करे कि इन बच्चों के लिए फलां फलां अवधि के अन्दर स्कूल का इन्तजाम किया जाये। जब तक अदालत में जाकर इस अधिकार पर अमल करवाने का इन्तजाम नहीं किया जायेगा, तब तक यह सरकार सुनने वाली नहीं है।

मैं इस वक्त कांग्रेस और गैर-कांग्रेस की बात नहीं करता हूं, क्योंकि अगर मेरे इस सिद्धान्त को स्वीकार कर लिया जाता है, तो सभी शासनों को, चाहे वे कांग्रेसी हों या गैर-कांग्रेसी, इस पर अमल करना पड़ेगा। इसलिए मैं मंत्री महोदय से कहूंगा कि इस विधेयक को लोकमत जानने के लिए परिचालित करते समय वह राष्ट्रपति जी को लिखें कि इसका बहुत महत्व है। और पहले उन्होंने जो अनुमति देने से इनकार किया था उस पर वह पुनः विचार करें। उसकी पृष्ठभूमि क्या है? कारण क्या है यह मैंने बतलाया है।

अब इस विधेयक का जो दूसरा हिस्सा है उसका संबंध 47 धारा से है। उसमें दो बातें हैं। एक शासन की यह जिम्मेदारी कि लोगों के जीवनस्तर को ऊंचा उठाये और कम से कम उनका, जो स्वास्थ्य है, खाने पीने का इंतजाम है उसका शासन ख्याल करे। आगे चलकर इसमें कहा गया है:

"..The State shall endeavour to bring about prohibition of the consumption except for medicinal purposes of intoxicating drinks and of drugs which are injurious to health."

इन दो चीजों को साथ ही रखा गया। आज क्या नतीजा हुआ है? इस निदेशक सिद्धान्त पर कैसे अमल हुआ? तो स्वास्थ्य का ख्याल करते हुए नशाबंदी की बात हुई। लेकिन ऐसे ढंग से नशाबंदी को चलाया गया कि हथभट्ठी का सिलसिला चल पड़ा और लोगों का स्वास्थ्य खराब से खराब होने लगा। ....(व्यवधान)..........और, आचार्य जी, बात सही है। लेकिन नशाबंदी के सिद्धांत पर भी शासन ने ठीक तरह अमल नहीं किया। आप जानते हैं कि 1962 में जब चीन का आक्रमण हुआ तो चीन के आक्रमण के पश्चात सबसे पहले उत्तर प्रदेश की चन्द्रभानु गुप्त की सरकार ने शराब ढीली कर दी तो लोग कहने लगे कि चीन ने एक धक्का मारा नशाबंदी ढीली हो गई.........

श्री मणिभाई जे॰ पटेल (दभोइ): जहां भी हुआ बुरा हुआ, केरल में या जहां भी हुआ, बुरा हुआ।

श्री मधु लिमये: मैं जो बात कह रहा हूं उसे सुनिये आप। तो लोग कहने लगे

कि इस सरकार को कोई और विदेशी धक्का मारेगा तो शराब बिलकुल खुल जायगी। तो अध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश के कांग्रेसी शासन में शराब बन्दी, नशाबन्दी ढीली हो गई और उसके बाद महाराष्ट्र शासन ने भी यही किया। अब केरल का उन्होंने उल्लेख किया। मैं केरल के शासन को इसलिए बधाई देना चाहता हूं कि कम से कम उनमें यह ईमानदारी है, ईमानदारी के साथ उन्होंने कहा कि नशाबन्दी से जो पैसा मिलता था आबकारी कर के रूप में वह तो चला ही गया, स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहा, हथभट्ठी चल पड़ीं स्वास्थ्य गिरने लगा, चोरी होने लगी, साथ साथ भ्रष्टाचार भी फैल गया, पूरा पुलिस दल भ्रष्ट होने लगा। तो इसलिए केरल ने फैसला किया कि इसको एकदम खत्म कर देना चाहिए।

तो अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे अब यह निवेदन करना चाहता हूं कि 17 साल के अनुभव की रोशनी में हमको अपने निर्देशक सिद्धांत पर विचार करना चाहिए। जहां शिक्षा का सवाल है, जिस पर अमल होना चाहिए था, उस पर अमल नहीं हुआ। शराबबन्दी पर अमल नहीं हुआ। आज भी दिल्ली में राजधानी है यहां, लेकिन आप शराबबन्दी नहीं करते। सेना के लिए शराबबन्दी नहीं है। तो फिर क्या वजह है कि आप राज्यों को हिदायत देते हैं कि उस पर अमल करें। इसलिए मैंने जो तरमीम रखा है उसमें यह जो ढोंग धतूरा है उसको खत्म किया गया है और नशाबन्दी वाला जो हिस्सा है उसको हटा दिया गया है और पहला जो स्वास्थ्य का, खानपान का और जीवन-स्तर ऊपर उठाने का हिस्सा है उसको साफ साफ शब्दों में रखने की कोशिश की गई है। जो नया अनुच्छेद होगा वह इस प्रकार बनेगा;

"It shall be the duty of the State to ensure to every citizen a minimum standard of nutrition and, in particular, to prevent untimely deaths resulting from mal-nutrition, under-nourishment or starvation."

यह तीन शब्द मैंने इसलिए जोड़े कि दो साल से इस सदन में एक चर्चा रही, हम कहते थे भूख से मौतें हो रही हैं। शासन से जवाब मिलता था कि भूखमरी से नहीं कभी कहते थे हैजा हो गया, चेचक हो गया, टी० बी० हो गई लेकिन यह सारे रोग और बीमारियां जो होती हैं वह आखिरकार कम खाना मिलता है, अच्छा खाना नहीं मिलता है, कमजोरी और दुर्बलता आ जाती है, इसी को वजह से होती हैं। इस तरह की बीमारी बड़े पैमाने पर जर्मनी, अमेरिका, कनाडा आदि देशों में नहीं हुआ करतीं। मुझे याद है। दो साल पहले पश्चिम जर्मनी में चेचक से मौत का एक ही उदाहरण हुआ तो इतना बड़ा हल्ला हुआ और वहां का जो पार्लियामेंट है वह पूरा हिल गया, उसके बाद ठोस कार्यवाही हुई। तो मैंने यह सुझाव रखा है कि कम से कम खाना मिले हरएक व्यक्ति को और अब यह केवल निर्देशक सिद्धांत नहीं रहे। निर्देशक सिद्धान्त जिसका मतलब होता है चाहे शासन अमल में लाना है तो लाये न लाना है तो न लाये। मैंने यह सुझाव दिया है कि अगर कोई व्यक्ति भूखा मर रहा है उसको खाने को कुछ भी नहीं है तो उसको यह छूट होनी चाहिए कि वह अदालत के सामने जाय और मजिस्ट्रेट से हुक्म जारी कराये सरकार पर, शासन पर कि वह उसको खाना खिलाये। अगर सरकार यह कहती है कि सरकार खाना खिलाने के लिए तैयार है, वह काम करे तो मुझे कोई एतराज नहीं है। काम दो, काम लो। लेकिन इस तरह

[श्री मधु लिमये]

का अधिकार होना चाहिए उसको। अध्यक्ष महोदय, आपको याद होगा चुनाव के समय सरकार के जितने प्रवक्ता हैं उन्होंने अखबारों के जरिए रेडियो के जरिए इस बात को परिचालित किया कि यह इन्दिरा गांधी की जो सरकार है इसकी यह विशेषता है कि इतना दुर्भिक्ष होने के बावजूद किसी भी व्यक्ति को भूख से इस सरकार ने मरने नहीं दिया। असल में यह बात सही नहीं है। पिछले अक्तूबर महीने से मेरे क्षेत्र में लोग भूख से मरने लगे थे। मुझे बहुत खेद है कि आज जहां जहां गैर-कांग्रेसी शासन हुआ है वह भी लकीर के फकीर बनकर इन्हीं लोगों की तरह बातें करने लगे हैं। मैंने उनको यह कहा था कि अगर अकाल है तो अकाल की स्थिति को कबूल करो। अगर कोई भूख से मरा है तो सुब्रह्मण्यम साहब की तरह बात मत करो कि यह हैजा से मरा है या चेचक से मरा है। हर एक मौत की जांच करो। अगर भूख से मरा है तो उस बात को कबूल करो। यह शर्म की बात जरूर है लेकिन जब तक सही बात को कबूल नहीं करते हैं उसको दूर करने के लिए सार्थक प्रयास भी नहीं होना है। तो आज मैं उत्तर प्रदेश की सरकार और बिहार की सरकार को भी कहूंगा कि मौत के जितने उदाहरण हैं उनकी जांच की जाय और जब तक जांच के बाद यह साबित नहीं होता है कि इसके पेट में खाना था फिर भी किसी बीमारी से मरा है उसको भूख से मौत ही माना जाय। मैंने यह सुझाव रखा है। अगर इस सरकार का यह दावा है कि इन्दिरा गांधी की सरकार ने किसी को भी भूख से मरने नहीं दिया तो मैं आपकी मार्फत आपसे यह पूछूंगा कि आपको क्या एतराज है मेरे सुझाव को मानने में? आप ने मरने नहीं दिया, आप मरने नहीं देने वाले हैं तो आप यह अधिकार नागरिकों को क्यों नहीं दे रहे हैं कि अगर वह भूख से मरते हैं तो मैजिस्ट्रेट के पास जाकर इस अधिकार पर अमल करवायें?

तो मैं लम्बा भाषण नहीं करना चाहता। दो मिनट में खत्म करता हूं। दूसरे बहुत से लोग बोलने वाले हैं। इसमें और भी निर्देशक सिद्धांत हैं। उसका मैंने उल्लेख नहीं किया है। लेकिन एक सामान्य सिविल कोड बने यह भी एक सिद्धान्त है। अगर यह ऐसा ही रहेगा तो क्या फायदा इस पर अमल करना है तो करवायें खत्म करना है तो कहिए हम निकम्मे हैं, नहीं कर सकते। लेकिन यह जो ढोंग धतूरा चलता है यह नहीं चलना चाहिए।

इसी तरह कार्यकारिणी और न्यायालय का अलगाव यह आप न दिल्ली में कर पाये न राज्यों में कर पाये। तो अब समय आ गया है, 17½ साल के बाद, अध्यक्ष महोदय, कि हमारे जो निर्देशक सिद्धान्त हैं उन पर हम ठंडे दिल से विचार करें और सोचें कि इनमें से कौन से ऐसे निर्देशक सिद्धान्त हैं जिन पर अमल करना निहायत जरूरी है और ऐसे सिद्धान्त को अदालत के जरिए कार्यान्वित करने का बुनियादी अधिकार नागरिकों को दे दीजिए। जिन सिद्धान्तों के बारे में आप सोचते हैं जैसे नशाबन्दी, अमल नहीं किया जायेगा ईमानदारी से कबूल कीजिये कि इसको हटा दिया जाये।

एक माननीय सदस्य : इसके बजाय क्या चुनाव करने की बात करो।

श्री मधु लिमये : अनुभव से सीखो । मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि उसी तरह से जो कामन सिविल कोड की बात है, कार्यकारिणी और न्यायालय के अलगाव की बात है, इसके एक एक सिद्धान्त को ठीक तरह जांच करके देख लें और जो अच्छे सिद्धान्त हैं उनको रखें, जो बहुत जरूरी सिद्धान्त हैं उनको बुनियादी अधिकार की शक्ल में कुबूल करें। इनको इस तरह कुबूल करने का मतलब है नागरिकों को न्यायालय के सामने जाने देने का अधिकार देना है।

इसलिये मैं विनती करता हूं कि मेरे प्रस्ताव पर यह सदन विचार करे ।

श्री जे॰ बी॰ कृपालानी (गुना): फिर वोटर्स को शराब कैसे पिलायेंगे ।

Mr. Chairman: Motion moved:

"That the Bill further to amend the Constitution of India be circulated for the purpose of eliciting opinion thereon by the 31st August, 1967."

श्री स॰ मो॰ बनर्जी : सभापति महोदय, मैं मेरे परम मित्र मधु लिमये को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने ऐसा विधेयक आज सदन के सामने रखा है और मैं समझता हूं कि आज यह परिस्थिति इस देश में आ गई है कि संविधान की रक्षा हमें करनी है, उसके प्रति जो श्रद्धा है वह देश में किसी तरह से बाकी बच जाय— तो ऐसी चीज को अपने सामने रख कर हमें उस को पास करना होगा ।

अभी उन्होंने समझाने की कोशिश की कि आखिर यह विधेयक क्यों उन्होंने प्रस्तुत किया । जो संशोधन वे संविधान में लाना चाहते हैं, हमें देखना है कि वाकई यह जो लाया है, वह कहां तक बेहतर है या नहीं है । आज यह कांग्रेसी शासन पिछले 17 सालों में, संविधान के पास होने के बाद से अब तक 14 साल तक के बच्चों को मुफ्त शिक्षा देने के कार्य को नहीं कर सका है—ऐसी स्थिति में इन को यह कहने का क्या अधिकार है कि इस विधेयक को सदन में नहीं आना चाहिये ।

सभापति महोदय, उन्होंने शिक्षा के बारे में कलकत्ते की बात कही, मैं कहता हूं कि कलकत्ता ही नहीं, आप किसी भी सूबे में चले जाइये, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र—किसी भी सूबे में जा कर देखिये कि किस तरह से बच्चे अनपढ़ घूम रहे हैं । यह देश एक अजीब देश है— एक तरफ़ तो 40 लाख या 50 लाख लोग हैं, तकरीबन 65 करोड़ की आबादी में से, जो पब्लिक स्कूल्स में जाते हैं और पढ़ने की जितनी भी सुविधायें हो सकती हैं, वे उनको मुहिया की जाती हैं और दूसरी तरफ़ हमारे करोड़ों बच्चे हैं जिनको ठीक तरह से पढ़ाई नहीं दी जाती है । कहा यह जाता है कि प्राइमरी शिक्षा काफी हद तक मुफ्त दी जा रही है, पर सभापति महोदय, मैं आपका ध्यान इस सच्चाई की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं कि ज्यादातर स्कूलों में, दो चार सूबों को छोड़ कर, जहां पर भी अनिवार्य शिक्षा मुफ्त दी जाती है, अगर कभी उन स्कूलों का मुआयना करेंगे तो देखेंगे कि अगर बच्चे हैं तो मास्टर नहीं है, अगर मास्टर है तो बच्चे नहीं हैं— यह हालत वहां पर है । पढ़ाई लिखाई वहां पर कुछ नहीं होती है । खास कर देहातों में यदि आप चले जायं तो आप पायेंगे कि एक प्राइमरी स्कूल के टीचर की यह ड्यूटी है कि वह पहले बच्चों को बटोर कर लाये, वह बच्चों को बटोरने के लिये घूमता है, बच्चे आते हैं या नहीं आते हैं यह दूसरी बात है, उसके बाद स्कूल का ताला खोलने से बन्द करने तक का सारा काम वह शिक्षक करता है । ऐसी हालत में वह न उन बच्चों को पढ़ा सकता है और न वे बच्चे अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं ।

[श्री स० मो० बनर्जी]

उन्होंने इस में यह कहा है कि इस को 26 जनवरी, 1968 से लागू किया जाय। 26 जनवरी हमारे लिये एक पवित्र दिवस है, जिस दिन संविधान को हम लोगों ने पास किया था और अपने आप को गणतन्त्र का एलान किया था। दूसरी बात वह यह कहते हैं कि

"It shall be the duty of the State to ensure to every citizen a minimum standard of nutrition and in particular to prevent untimely deaths resulting from malnutrition, under-nourishment or starvation.".

सभापति महोदय, चाहे सूबे की सरकार हो या केन्द्र की सरकार हो, जो सरकार लोगों को अन्न न दे सके और खास कर उस देश में उस हिन्दुस्तान में जहां पर हर एक घर की नारी को, बहनों और माताओं को अन्नपूर्णा और लक्ष्मी के नाम से पुकारा जाता है, आज उस देश में मैं कह सकता हूं कि भारत माता वाशिंगटन के चौराहे पर निराहार और निर्वसना खड़ी है। इस से आप समझ सकते हैं कि क्या हालत होगी। पहले लोग कहते थे कि तू मुझे रोटी दे, तुझे भगवान देगा, लेकिन आज इन्दिरा को कहते हैं कि मां तू मुझे रोटी दे, तुझे जानसन देगा—यह हालत हो गई है हमारे देश की। इसलिये मैं समझता हूं कि आज हमारे लिये यह जरूरी है कि कम से कम कोई आदमी भूखा न मरे। यह बात मधु लिमये ने बिल्कुल सही कही है कि जब भी हम ने कहा कि एक आदमी भूख से मरा है, अकाल की वजह से फाकाकशी का शिकार हुआ है, हम को उसके लिये यह कहा गया कि हम ने विटामिन बिस्कुट्स, विटामिन की टेबलेट्स भेज दी हैं और उन टेबलेट्स के जरिये न्यूट्रीशन को पूरा करने की कोशिश हो रही है। मैं भी भागवत झा आजाद से निवेदन करूंगा, जिन्होंने बिहार का भयंकर दृश्य देखा है, मैं जानता हूं कि वे उस से काफी प्रभावित हैं, दुखी हैं, उत्तर प्रदेश में भी—चाहे मिर्जापुर डिस्ट्रिक्ट हो, चाहे बुन्देल खण्ड हो—रानी झांसी का इलाका, जिसके बारे में हमें नाज है, कहा है—वह सारे का सारा सूखा पड़ा हुआ है। वहां आज ऐसी परिस्थिति है कि हमारे घर की द्रोपदी घूंघट कर मांगने के लिये जाती है, खाना मांगने के लिये जाती है और कुछ दिन में ऐसा होगा कि एक किलो या दो किलो चावल के लिये अपने बच्चों को भी बेच दें।

इस लिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस को मान लीजिये, जनमत संग्रह इस पर किया जाय और जनमत संग्रह के बाद राष्ट्रपति जी किसी टैक्नीकल ग्राउण्ड पर उस को रिजेक्ट कर दें, ऐसा नहीं होना चाहिये। इन शब्दों के साथ मैं मधु लिमये को दोबारा बधाई देना चाहता हूं और सदन से अनुरोध करना चाहता हूं कि इस को मान लें। कम से कम इस प्रस्ताव पर बांटिंग डिमाण्ड न की जाय कि इस का सर्कुलेशन हो या न हो। जिस तरह से श्री भागवत झा आजाद, जब मिनिस्टर नहीं थे, इन्कलाबी शब्दों में कहा करते थे, उसी इनकलाबी तरीके से मैं समझता हूं कि वे इनकलाबी बात को मानेंगे।

Shri S. Kundu (Balasore): When this Bill is under discussion, I would wish that my hon. friends opposite including Ministers are in complete attention to the discussion because I feel that we are discussing a very important and vital thing today in the form of this Bill.

Two things are involved in this Bill. Firstly, an attempt has been made to incorporate the Directive Principle in the form of a provision of the Constitution which will have some legal sanction. Secondly, an attempt has been made to guarantee a few basic and fundamental things to the

people. It has been agitated on the floor of this House that a few basic and minimum things should be guaranteed to the people, which have been denied to them by the Congress Government for years together. When these Directive Principles were incorporated in the Constitution, it was the wish of the people of India that they would become law as soon as possible so that they could be enforced. But, for the last twenty years we have been seeing that the Congress Government has seen to it day in and day out that the most essential Directive Principles are not made into law which could be taken cognizance of by the courts.

The basic and fundamental needs of the people, the hopes and aspirations of the people of this country have flowered through these Directive Principles. It is a great crisis through which we are passing and through which the entire country is passing. It is a crisis of faith; it is a crisis of profession and practice. As a poet has said, today, between theory and practice falls a shadow and this shadow has been so enlarged by this Congress Government that the entire nation is kept in a pool of darkness.

So, it is not just for the sake of bringing forward a Bill that my hon. friend Shri Madhu Limaye has brought this forward. It is a very important Bill because an attempt has been made to give legal sanction to certain Directive Principles. I would have been very happy if a Bill had been brought forward seeking to give legal sanction to all the Directive Principles in the Constitution. Anyway, Shri Madhu Limaye has brought forward this Bill to give legal sanction only to a few of the Directive Principles and that is welcome because those provisions are the most vital and any Government swearing on the minimum welfare of the people of this country must accept it.

17 hrs.

My hon. friend also seeks to provide that primary education for children should be made free and compulsory. If we believe in democracy, if we want that in a democracy the people must know what they want to desire and what they want to have, then the first and foremost consideration is to educate them. If we want to have a democracy of about 2 per cent of the people only at the top and then come to this House and say that we have the largest democracy in the world, that will amount to a mockery; we may please ourselves in that way, but we cannot satisfy thereby the thirst of the entire nation to know what they should desire; the compulsion of democracy demands that we must provide them education. The statistics of Government says that 20 per cent of the people living in the villages only are educated. Even after 20 years of Independence, this is the horrible picture that we are seeing. I am sure that my hon. friend Shri Bhagwat Jha Azad who has been a valued Member of this House and who is now the Minister of State for Education would agree that this is definitely a horrible picture and this is such a depressing picture that the entire fabric and the foundation of democracy will fall, unless we make a firm resolve and we muster all our resources and strength to see that we provide compulsory and basic education to children up to the age of fourteen. This is the objective with which the Bill has been inspired.

I do not know why so much of clamour was made and some sort of legalistic approach was developed and it was said that this Bill could not be taken up for consideration here. Anyhow, I would not dilate on that point because a ruling has been given already on that matter. But I would like to reinforce it by saying that nothing can be shut away from consideration by this House. It is the minimum natural justice and it is the minimum privilege of this House that

[Shri S. Kundu]

so far as Parliament Members are concerned, nothing can be shut away from consideration by them. That is a very important privilege. Therefore, I do not know why there was so much emphasis that this Bill should not be taken into consideration. Probably the Congress Government feels that once these things are discussed, once these questions relating to illiteracy, hunger, poverty etc. are discussed here in the House and get publicity in the press, perhaps all that they are championing in the name of democratic socialism or the building up of a very big democratic empire, I should say, which will be one of the largest democratic empires in the world, and all their big ideas might topple down.

I personally feel that nothing should be shut away from this House for discussion. This House should have the right to discuss whatever is worth discussing. No law, no enactments and no rules framed under the constitution can withhold that power. The Rules of Procedure which have been talked of here are framed under the law, and I would submit that the rules framed under the Constitution cannot take away the power given by the Constitution, Article 118 of the Constitution is most supreme and it clearly provides that these matters could be considered.

Then, it has been suggested in the Bill that proper nutrition should be provided. In the Directive Principle, the picture of a good society, a civilised society and an orderly society has been painted. This good, civilised and orderly society depends basically on three main things namely education, food and better health, and houses for the citizens. If we do not give these basic things to the citizens, how can we aspire to say that we are running one of the biggest democracies in the world?

It has already been pointed out how people are dying in thousands and thousands without, food, throughout India. In Kalahandi district in Orissa, I do not know whether the hon. Minister of State for Education knows this, hundreds of people have died of starvation. Orissa is a so-called surplus State, and we have sent about 75,000 tonnes of paddy to different States from our State. And even there this is the position. After twenty years of Independence, we find that people are dying just like rats on the streets. Let us forget for a moment about giving proper nutrition. I think that it is time that the Ministers, instead of drawing a fat salary and driving in beautiful limousine cars and nodding their heads here sometimes in a peculiar fashion and showing antipathy towards whatever is being spoken from these Benches, found out some way to check this kind of thing. They should show some determination, some light, some purpose, some drive and effect some break-through holding some light in this encircling gloom of darkness.

श्री रणधीर सिंह : सभापति महोदय, जो प्रस्ताव बिल की शक्ल में माननीय श्री मधु लिमये ने पेश किया है, मैं उस की सरहाना करता हूं । हमारा देश एक निहायत कल्लाश, गरीब और निहायत पस्मांदा देश है । हुकूमत कोई हो, कांग्रेस की हो या मुखालिफ पार्टी की हो, आगे चल कर, उस का बुनियादी फर्ज है और अवाम का यह बुनियादी हक है कि बुनियादी जरूरियात जिन्दगी हैं रोटी की, रोजी की, कपड़े की, घर की, दवा दारू की, खाने की, वह पूरी होनी चाहियें । जो हुकूमत इन को पूरा नहीं कर सकती, उस में कमी है, और उस को पूरा करना चाहिये ।

लेकिन चैयरमैन साहब ये हमारे अपोजीशन वाले सारे अव्वाम के ठेकेदार बनते हैं, समझते हैं कि ट्रेशरी बैंचिज़ पर बैठने वाले सारे लोग अव्वाम के दुश्मन हैं । इनको

गुमान है, इनको यह ख्याल है कि वे ही अवाम की बहबूदी की बात करते हैं, अवाम की बहबूदी के काम करते हैं। यह इनकी बात गलत है। मैं कहना चाहता हूं कि इन से कहीं ज्यादा हम लोगों में तड़प है अवाम की सेवा करने की और जो अवाम के दुख दर्द हैं उनको हल तलाश करने की।

लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि बीस साल गुजर गये हैं। बहुत समय गुजर गया है। लोगों की जो जरूरत हैं वे पूरी नहीं हुई हैं और वे पूरी होनी चाहिये। आज भी करोड़ों घर ऐसे हैं जिन घरों में चिराग नहीं जलते हैं, करोड़ों इंसान ऐसे हैं जिनको वो वक्त पूरा खाना नहीं मिलता है और करोड़ों इंसान ऐसे हैं जिनके बच्चे स्कूल नहीं जा सकते हैं गरीबी की वजह से। इन घरों में चिराग जलना चाहिये, जो भूखे रहते हैं और जो करोड़ों की तादाद में हैं उनको रोटी मिलनी चाहिये। साथ ही जो बच्चे मैल-न्यूट्रिशन के कारण, अंडर न्यूट्रिशन के कारण बीमार पड़ते हैं उनका इलाज होना चाहिये। इसके कारण जो बीमारियां फैलती हैं उनका इलाज होना चाहिये। यह एक बुनियादी बात है, जम्हूरियत का पहला हक है। हर हिन्दुस्तानी का यह हक है कि उसको काम मिले, उसको रोटी मिले।

मेरे काबिल दोस्त इस रेजोल्यूशन में अगर रोटी का भी जिक्र कर देते तो बहुत अच्छा होता। मैं इस बात के हक में हूं और मैं जोर की आवाज से यह कहना चाहता हूं कि सब से पहला हकूमत का जो फर्ज है वह यह होना चाहिये कि जो अवाम की बुनियादी जरूरतें हैं, जो उनकी डे-टू-डे जरूरत हैं वे पूरी होनी चाहिये। आज भी करोड़ों ऐसे कुनबे हैं जिन्होंने दूध का मुंह तक नहीं देखा है। करोड़ों ऐसे कुनबे हैं जिन को चुपड़ी हुई रोटी नसीब नहीं होती है। मैं देहातों की बात करता हूं। अभी मैं अपने यहां के गांवों में जा कर देख कर आया हूं।

यहां गरीब हरिजनों को मैंने देखा है, बैकवर्ड भाइयों को देखा है, गरीब किसान भाइयों को देखा है। वे सत्तर रुपये मन की गन्दम नहीं खा सकते हैं, सत्तर रुपये मन के भाव से बिकने वाला अनाज नहीं खा सकते हैं क्योंकि एक कुनबे में दस बारह अफराद होते हैं और एक महीने में उनके यहां तीन चार मन गन्दम की खपत होती है और आमदनी भी उनकी मुश्किल से सत्तर रुपये महीने की होती है। कैसे उनका गुजारा चलता है, इसको आप खुद सोच सकते हैं। यह दिल दहलाने वाली बात है, इबरतअंगेज बात है और इस तरह के गरीबी के दृश्य न सिर्फ मेरे हल्के में ही आपको देखने को मिलेंगे बल्कि सारे देश में देखने को मिलेंगे। जो आदमी शाम को रोटी मांगता है और किसी को खिचड़ी मिल जाती है या बासी रोटी मिल जाती है वह उसी से दो वक्त अपना पेट पालता है।

सभापति महोदय : बिल पर कुछ कहिये।

श्री रणधीर सिंह : बिल में तो तालीम की बात कही गई है। लेकिन मेरे भाई ने न्यूट्रिशन की बात कही है, इस लिए मैं इसका जिक्र कर रहा हूं। इस में दूध की बात भी आ जाती है। एक आदमी के जिस्म को तगड़ा रखने के लिए 183 पाउंड दूध चाहिये साल में जबकि हमारे यहां दूध का औसत 25 या 30 पाउंड भी नहीं बैठता है। डेनमार्क में यह औसत साढ़े चार सौ पाउंड का है, अमरीका में तीन सौ पाउंड का है, इंग्लैंड में ढाई सौ पाउंड का है और दूसरे यूरोपियन कंट्रीज में दो सौ से ऊपर है। यह एक ऐसी बात है जिस पर मैं समझता हूं कि इस सदन को बड़ी गम्भीरता से विचार करना है। दूध नहीं मिलेगा बच्चों को तो देश का क्या बनेगा। बड़े आदमियों को प्रोटैक्टिव डायट नहीं मिलती तो जिस्म का क्या बनेगा। वह आदमी जिसको पूरा न्यूट्रिशन नहीं

[श्री रणबीर सिंह]

मिलता है, जो अंडर न्यूट्रिशन और मैल न्यूट्रिशन के कारण बीमार रहता है वह कैसे तगड़ा बनेगा और कैसे पाकिस्तान का और चीन का मुकाबला करेगा। अगर कीड़ों की तरह से हमारे बच्चे पलेंगे तो किस तरह हमारी यह नेशन मजबूत बन सकती है। प्रोटैक्टिव डायट आप हर शहरी को दें, चाहे वह बच्चा हो या बड़ा हो। वह आज नहीं मिल रही है। वह मिलनी चाहिये।

17.14 hrs.

[MR. DEPUTY-SPEAKER in the Chair]

तालीम की बात भी यहां कही गई है कि बच्चों को तालीम नहीं मिल रही है और उसके लिए प्राविजन होना चाहिये। चूंकि गरीबी यहां बहुत है इस वास्ते वे लोग अपने बच्चों को तालीम ही नहीं दे पाते हैं और थोड़ा सा बच्चा बड़ा होता है तो उसको डंगरों को चराने के लिए भेज दिया जाता है बकरियों के रेवड़ों में भेज दिया जाता है। हमारे यहां भी देखने में आता है कि अगर किसी बच्चे को जबरदस्ती स्कूल ले जाते हैं तो वे लोग लट्ठ ले कर आ जाते हैं और मास्टर से लड़ना शुरू कर देते हैं कि क्यों हमारे बच्चे को जबरदस्ती स्कूल में ला रहे हो। उनका दिमागी तवाजुन इतना बिगड़ गया है कि चाहे तपेदिक और चेचक फैली हुई हो अगर डाक्टर टीका लगाने के लिए आता है तो भी वे बच्चों को टीका नहीं करवाते हैं और लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। इन दोनों के बारे में कानून बने हैं लेकिन फिर भी इन पर अमल करना मुश्किल हो जाता है। इस वास्ते मैं कहना चाहता हूं कि जब तक आप इन लोगों के दिमाग नहीं बदलेंगे और तब तक वे आपकी बात को नहीं मानेंगे और कानून पर अमल नहीं हो सकेगा। शारदा एक्ट बना। लेकिन उसके बावजूद भी बच्चों की आठ साल की उम्र में ही शादियां कर दी जाती हैं, दस दस साल की उम्र में ही शादियां कर दी जाती हैं। दहेज के बारे में कानून बना हुआ है लेकिन उस पर अमल कहां होता है। कांस्टीट्यूशन एमेंडमेंट बिल आप पास कर भी दें तब भी वे मान जायेंगे इसकी आशा आप नहीं कर सकते। कांस्टीट्यूशन में तबदीली करने से या कानून पास करने से कोई बात नहीं होगी। आप जो तखरीबी काम करते हैं, दिन रात स्लोगंज शाउट करते हैं, इनको छोड़ कर आपको चाहिये कि आप तामीरी काम करें। आप लोगों को समझायें कि वे अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भेजें। आप लोगों को समझायें कि हर एक आदमी अपने कुनबे के लिए एक एक भैंस रखे, एक एक गाय रखे और उस गाय या भैंस का दूध वह बेच न दे, वह दूध दिल्ली में आ कर बिके न, बल्कि वह दूध उसके अपने काम आए, वह और उसके बच्चे उस दूध को पियें। मेरे माननीय मित्र श्री प्रकाशवीर शास्त्री जी यहां नहीं हैं। मैं कहूंगा कि हर घर गाय रखे और गाय का दूध वह घर पिये। हर एक बच्चे को पीने के लिए दूध मिलना चाहिये। हर आदमी को खाने के लिए रोटी मिलनी चाहिये। आज हमारे देश में अनाज की कमी नहीं है। आज हमारे यहां लोगों की जहनियत ऐसी बन गई है कि वे इकट्ठा करके अनाज को रख लेते हैं। आप अपनी पार्टी के जरिये लोगों से कहें कि वह लोगों में प्रचार करें कि वे होर्डिंग न करें चाहे वे शहरों में रहने वाले हों या देहातों में। जो कुछ उपलब्ध है उसको बांट कर खायें। आपकी पार्टी प्रचार करे कि इस तरह की एंटीसोशल बातें नहीं होनी चाहियें, जखीरा अंदोजी नहीं होनी चाहिये।

तालीम बच्चों को जरूर मिलनी चाहिये। आपने तो चार जमायत की बात कही है। मैं आपको अपनी पंजाब स्टेट की बात

बताता हूं । बदकिस्मती से मेरे लीडर सरदार प्रताप सिंह कैरों मर गए हैं । मैं झुकता हूं उनके सामने । उस आदमी ने चार साल में मैट्रिक तक की कम्पलसरी और फ्री एजुकेशन की । ऐसी बात नहीं है कि हमने कोई कोशिश नहीं की है । हमने की है । लेकिन हर बात कानून से नहीं होती है । यहां से अगर कानून पास भी हो गया तो जरूरी नहीं है कि उस पर अमल ही हो । फिर आप कहेंगे कि यह तो कांग्रेस सरकार ने कानून पास कर दिया है, इसको हरियाणे वाले नहीं मानेंगे, बिहार वाले नहीं मानेंगे, उत्तर प्रदेश वाले नहीं मानेंगे । जब वे नहीं मानेंगे तो आप कहेंगे कि यह जो कानून आपने पास किया है इस पर अमल नहीं हो रहा है । इस वास्ते कानून से बात नहीं बनती है । सारी बात तो दिल से बनती है । आप इन चीजों को लोगों के दिलों में उतारें । लोगों को समझायें कि तालीम हमें देश देश में बढ़ानी है, बीमारी दूर करनी है, दूध बच्चों को पिलाना है, मैलन्यूट्रिशन और अंडर न्यूट्रिशन को खत्म करना है और देश में जो एंटीसोशल बातें हो रही हैं उनको दूर करना है । जहां तक न्यूट्रिशन का सवाल है यह अवाम का बुनियादी हक है कि हुकूमत से इसकी मांग करें और हुकूमत का यह फर्ज है कि वह इसको पूरा करे । लेकिन आप इस में ताइन दें । आप तो पोलिटिकल एक्सप्लायटेशन करते हैं । आप कहते हैं कि हमने ये ये बातें पार्लियामेंट में उठाई हैं, इतनी बड़ी बड़ी बातें उठाई हैं और आप इन सब का क्रेडिट लेना चाहते हैं । आप तामीरी ढंग से सोचें । हमारी जो हुकूमत है वह इतना कुछ कर रही है कि आप उसको पचास और सौ साल में भी नहीं कर पायेंगे । हुकूमत में वही जिस्म है, वही दिल है, वही काम करने वाले वर्कर हैं जो आप और मेरे में हैं । हम दोनों में कोई लम्बा चौड़ा फर्क नहीं है । हम भी आप से ज्यादा गरीबों के प्रति हमदर्दी है, ज्यादा काम वे हम करते हैं और आप से ज्यादा हम में तड़प है कभी आप सारी बातों का ठेका उठाये फिरते हैं । इस लिये मैं यह कहना चाहता हूं कि इस के पीछे एक तारीख है एक हिस्ट्री है, आप तो भटके हुए डेलीगेट्स हैं, उधर बैठे हुए हैं लेकिन ये सीधे रास्ते पर चलने वाले हैं, ये पहले भी कांग्रेसी थे, अब भी कांग्रेस में हैं और आगे भी कांग्रेस में रहेंगे । हां, थोड़ी सी बात टेम्परामेन्ट की है—आप रूठ कर, एक रूठी बीवी की तरह उधर जाकर बैठ गये हैं । कांग्रेस और अपोजीशन में कोई लम्बा चौड़ा फर्क नहीं है, भगवान आपका भला करे, मैं आपका बुरा नहीं चाहता, लेकिन इतना जरूर कहना चाहता हूं कि सारे अवाम की ठेकेदारी की जिम्मेदारी आप न उठायें ।

मैं जनाब आपका बड़ा मशकूर हूं कि आपने मुझे कुछ ज्यादा टाइम दिया । जहां तक स्पिरिट आफ बिल का ताल्लुक है, मैं इस का समर्थन करता हूं, लेकिन जहां तक इस के पास करने की बात है मेरा ख्याल यह है कि यह फ्लिम-सी-फ्लिमसी-बात है, इस का मुझे ज्यादा असर नजर नहीं आता है ।

Shri Narendra Singh Mahida (Anand): Usually I do not agree with Mr. Limaye, on many points but in this matter, I am in wholehearted co-operation with him, and I congratulate him for drawing attention to the need of free education. As the late Gopala Krishna Gokhale had said, it is our birth right to have freedom; the modern generation can similarly demand that it is our independent right to have free education in our democratic setup. After all, we are all here because of our education. If we did not have education, we would not be sitting in this august House and understanding things.

In many ways my thoughts go back to Maharaja Sayaji Rao Gaekwad, the illustrious ruler of Baroda. Not now but in 1920s he brought about compulsory free education in the former State of Baroda. Most of the States

[Shri Narendra Singh Mahida]

which were feudal and backward in many ways had given to their subjects free education and free medicine. So, it is very laudable that some sort of compulsion or arrangement should be there in our idependent India whereby our citizens receive food, education and accomodation. These are basic necessities of life, and we cannot neglect our attention to these basic needs. We may pass legislation, but that is not the end of it.

I have been in rural areas for the last 25 to 30 years. Many rural people ask what is the use of this education which does not make us go towards agricultural production, because the moment a man gets the slightest education, he is afraid of lifting goods in the street, he is not used to hard work. So, there are differences about education also. Agricutural way of life should be the basic trend of our education, because unless we concentrate our attention on our agricultural needs, no amount of this sophisticated education will help us. So, my basic request is that all the educated people should try and educate not only their children, but their neighbours, and more so their wives, because in our country we see that our womenfolk are very backward, and unless our women are educated we will not make enough progress.

So, my humble request is that Mr. Limaye's request for circulating the Bill for eliciting public opinion as far as education is concerned should be accepted by Mr. Azad. We may not oppose all Bills of all the members sitting on the other side. Sometimes they also talk sanity, and I welcome this move. The Government may not have the means to give free education, but we can at least elicit public opinion. So though sitting on this side, I agree with him on the need of education.

श्री जी० भा० कृपालानी : मुझे तो बोलने का कोई विचार नहीं था, लेकिन मधु साहब ने कहा कि हम को बोलना चाहिये और हमारी ऐसी खराब आदत है कि जब मैं बोलता हूं तो सच बोलता हूं । जिन आदमियों ने या जिन जवानों ने इस बात की बहस को यहां पर उठाया है, उन सब को मालूम नहीं है कि हमने जानकर इन डायरैक्टिव प्रिन्सिपल्ज़ को यहां पर रखा, हम लोग कोर्ट की दस्तअन्दाज़ी में इन को नहीं डालना चाहते थे --

We purposely kept them as non-justiciable, those that could not be enforced by courts of law. We deliberately kept them so.

क्योंकि हम जानते थे कि ये सब बातें हम हम से होनेवाली नहीं हैं । परपजली, डेलीब्रेटली हम लोगों ने यह किया । यह बात आप लोगों को मालूम नहीं है क्योंकि आप लोग उस वक्त कांस्टीचूएन्ट असेम्बली में नहीं थे । हम वहां थे, हमें मालूम है कि किस वास्ते यह काम किया गया था---

Purposely, deliberately, knowingly that we would not be able to do it.

श्री सिद्धेश्वर प्रसाद (नालन्दा) : आप ने उस समय रोका क्यों नहीं ?

श्री जी० भा० कृपालानी : क्योंकि हम धोखा देना चाहते थे । हम बड़े बड़े उसूल डालना चाहते थे, लेकिन काम नहीं करना चाहते थे । हम से आप क्या पूछते हैं, हम जानते हैं कि हम ने एसा क्यों किया । उन दिनों में यह सवाल भी उठा था कि इस को जस्टिसियेबल किया जाय, लेकिन हम लोगों ने अपनी ताकत को समझा और हमें मालूम था कि जब हम लोग कुर्सी पर बैठेंगे

—जैसा हमारे पहले के राष्ट्रपति ने कहा था कि जब तुम कुर्सी पर बैठोगे तो अपनी कुर्सी का का ख्याल करोगे, अपने ऐश-आराम का ख्याल करोगे और दूसरा ख्याल नहीं करोगे इस लिये हमने अपनी लिमिटेशन्स को समझते हुए इस को नहीं रखा।

मैं कहता हूं कि जो कम्पलसरी एजूकेशन है, उस को तो फौरन खत्म करना चाहिये, हमारे देश का उस पर पैसा खराब होता है। यूरोप में ऐसा एक्सपीरियेन्स हुआ कि आदमियों को पहले एजूकेशन देते थे, गरीबों को पहले एजूकेशन देते थे, जो 12–14 घन्टे फैक्टरीज में काम करते थे। फिर कुछ *अक्लमन्द आदमियों ने देखा कि इन गरीबों* को जो एजूकेशन देते हैं, उन के ऊपर एजूकेशन का कोई असर नहीं होता है, क्योंकि वे थके हुए हैं, उन के पेट में अनाज नहीं है, अगर पढ़ते भी हैं तो दूसरे दिन भूल जाते हैं। तो जो प्राइमरी एजूकेशन दी जाती है, मैं यह एजूकेशन मिनिस्टर को कहना चाहता हूं कि मेहरबानी कर के उसको खत्म करो। मेहरबानी करके जो पैसा बचे, उस में हमारे बच्चों को कुछ खिलाओ। एक आदमी यहां था, मुझे नाम मालूम नहीं है। कांग्रेसवाला था जो भैंसों और गायों को रखने का ख्याल रखता था।

श्री मधवराई (रामपुर) : श्री रणधीर सिंह जो कि एक काबिल सदस्य हैं।

श्री जी० आ० कृपालानी : खामख्वाह इस इजलास में आदमियों से कहना कि वह भैंसें और गायें रखें, जब कि आदमी खुद भैंसें और गायें हो गये हैं, एक ज्यादती है। यह कहते हैं कहीं राम राम और कहीं टें टें। कहीं भैंसें और गाय रखने की बात और कहीं लोगों को खाना नहीं मिलता है। इस सरकार को खाने का बन्दोबस्त करना चाहिये और सब को खाना मिलना चाहिये।

महात्मा से बहुत से आदमी कहते थे कि तुम महात्मा हो, तुम धार्मिक आदमी हो, तुम राजनीति में क्यों आये हो, तो महात्मा कहता था, गांधीजी ने कहता था कि :

"I can take God to the poor starving millions of India in a bowl of rice."

जब वह बाउल आफ राइस एम्पटी है तो कैसे दूसरी चीजों की बात आ सकती है? श्री मधु लिमये ने कहा कि डाइरेक्टिव प्रिंसिपल्स में यह है कि शराबखोरी बन्द होनी चाहिये, लेकिन वह बन्द नहीं होती। उस का एक कारण है कि अगर वह बन्द हो जाये तो कांग्रेस वाले जो हैं वह एलेक्शन के वक्त में जो शराब के ड्रमें खोलते हैं वह कैसे हो सकता है?

श्री हरदयाल देवगुण (पूर्व दिल्ली) : क्या मिसेज कृपालानी भी खोलती हैं?

श्री जी० आ० कृपालानी : मिसेज कृपालानी हों या तुम हो। मैं कांग्रेसवालों की बात कहता हूं। उस में अगर मिसेज आ गई तो मैं क्या करूं?

That is her misfortune and that is my misfortune.

हम लोग कहते हैं कि हमारे देहातों में रोशनी नहीं है। हिन्दुस्तान में बाहर की रोशनी की कौन परवाह करता है? हम लोग स्पिरिचुअल आदमी हैं, हमारे अन्दर रोशनी है। हमें रोशनी की बहुत जरूरत नहीं है। फिर जो आदमी ज्यादा खायेगा वह परमेश्वर का नाम कैसे लेगा? हमारे ऋषि मुनि क्या ज्यादा खाते थे? उन्हें तपस्वी कहा जाता था। वह बेचारे अपने बदन को कमजोर रखते थे ताकि परमेश्वर का ख्याल रख सकें। इस लिये इन बातों से कुछ हो नहीं सकता है। यह समझना चाहिये।

[श्री जी० भा० कृपालानी]

17.34 hrs.

[MR. SPEAKER *in the Chair*]

हमारे डाइरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं जैसे कि हाथी के दांत होते हैं, एक खाने के और एक दिखाने के। हम लोगो ने डाइरेक्टिव प्रिंसिपल्स दिखलाने के वास्ते रक्खे हैं। आप इतना समझिये कि हम लोग भी सभ्य देशों में हैं

We are also civilised people and we think in such high terms.

यह बातें याद कर के इस तरह के प्रस्ताव न लायें तो अच्छा होगा जिन में खामख्वाह बहस होती है और सदन का टाइम खराब होता है।

Shri Nath Pai: We assume that this Bill will come up next time.

Mr. Speaker: Yes. Now, we take up half an hour discussion.

17.35 hrs.

PURCHASE OF TYRES BY MINISTRY OF DEFENCE*

Shrimati Tarkeshwari Sinha (Barh): I raise this half an hour discussion on points arising out of the answer given on the 27th March, 1967 to Starred question No. 58 regarding Purchase of tyres by Ministry of Defence. This discussion was being postponed from one day to another in the last session. I am grateful to you for permitting this discussion today. So many lapses have been discovered by the PAC and yet the Government is going on with the same kind of lackadaisical approach to the entire problem. The PAC reports do not generally make very pleasant reading. They always display or provide a whole array of errors of commission and omission by the Government. It is very embarrassing for us to come forward with such reports that the PAC gives. It undermines the entire prestige of not only the Government but of the entire public sector, and we as the party which is running the administration have to admit that it puts us in a situation as if we are indirectly conniving at it. The working of the public sector and the public administration comes into disrepute and it undermines the very socialist economy to which we have been wedded. So many complaints are made about the performance of the public sector. Maybe, some public sector firms might be making a profit but the other inefficient units put the entire socialist philosophy of our Government to ridicule.

This report mentions one of the biggest scandals of mismanagement and maladministration by the STC. The STC is to be blamed not only for over-estimating the requirements but also for getting the tyres from the east European countries in such a way that they were faced with a large bulk and they had to find out some ways and means for getting them re-exported. One-sixth of these tyres were re-exported at a great loss to this country because those who had exported the tyres had to be reimbursed for the loss and they had to be given incentives so that they could dispose of this dirt and filth. These tyres had been imposed, so to say on various departments. I do not know what happened to the inter-departmental co-ordination and co-operation of which we talk from roof-tops every day. What happened to the inspectors and other persons who are in charge of purchasing these tyres? This is not the only time when the DGSD kept his eyes closed over this. It happens every day. We would have understood if this deal had come as an eye opener to them and in that case, this House would have excused the Government if they had set their house in order. But no; every day we come

*Half-an-Hour Discussion.